

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी

1. शंकर पुत्र बदरी
जाति मीणा निवासी
सिया का बास तह.
बस्सी जिला
जयपुर।

बनाम

प्रतिवादी

1. प्रभु पुत्र रामपालियां मीणा
निवासी सिया का बास तह. बस्सी।
2. गोपाल पुत्र कल्याण
3. गोर्धनी पत्नि कल्याण
4. जोधराज पुत्र रामपालियां
5. बरदा पुत्र बदरी
6. दिनेश पुत्र बदरी
7. काली पत्नि बदरी
8. गोरु पुत्र रामपालियां
समस्त जाति मीणा समस्त निवासी सिया
का बास तह. बस्सी।
9. सब रजिस्ट्रार तूंगा जयपुर।
10. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।
11. नायब तहसीलदार उप तहसीलद तूंगा
जयपुर।

दावा बंटवारा एवं स्थाई निपेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 76/17

निर्णय दिनांक 30.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट हिम्मतपुरा में पेश हुई।
वादी उपस्थित। जिसकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा ने की है। तहसीलदार बस्सी से
कुरैजात व नक्शे प्राप्त हुए जो शामिल मिसल है। पक्षकारान को तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुरैजात
व नक्शे पर सुना गया। वादी व प्रतिवादी द्वारा उक्त कुरैजात व नक्शे के संबंध में अपनी सहमति
प्रकट कर कुरैजात अनुसार दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया। उपस्थित मौतबिरान से वाद ग्रस्त
भूमि के संबंध में जानकारी ली गयी।

पत्रावली का अवलोकन व वादी द्वारा कुरैजात पर सहमति जाहिर करने एवं
उपस्थित मौतबिरान से उक्त वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा लोक अदालत हेतु
गठित कमेटी के निर्णयानुसार तहसीलदार बस्सी द्वारा पेश कुरैजात सरस-नरस के आधार पर बनाये
जाने पर प्राप्त कुरैजात का अनुमोदन किया जाकर वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि
वाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 443, 486, 487, 488, 489, 490, 495, 496 कुल किता 8 कुल रकबा 1.46
हैक्टे. स्थित ग्राम सिया का बास तहसील बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 489/1, 490, 495, 496
कुल किता 4 कुल रकबा 0.84 हैक्टे. भूमि खातेदार जोधराज, प्रभु पि. रामपालिया हि. 2/3 बिना रहन
गोरु पुत्र रामपालिया हि. 1/3 राहिन दी जयपुर से.को. बैंक शाखा तूंगा मूर्तहीन कौम मीना सा. देह
के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 487 रकबा 0.28 हैक्टे. भूमि खातेदार शंकर, बरदा, दिनेश पि. बदरी
मूर्तहीन काली पत्नि बदरी कौम मीना सा. देह. के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 487/1, 488, 489 कुल

Contd--2

किता 3 कुल रकबा 0.28 हैक्टे. खातेदार गोपाल पुत्र कल्याण गोरधनी पत्नि स्व. कल्याण आर.एम.जी. बी. शाखा तूंगा मूर्तहीन कौम मीना सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 443, 486 कुल किता 2 रकबा 0.06 हैक्टे. शामिल बंदस्तुर जमाबंदी रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुरैजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजा जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आज दिनांक 30.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट हिम्मतपुरा में मजमे आम में सुनाया गया।

Amal
30.5.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी
1. शंकर पुत्र बदरी
जाति मीणा निवासी
सिया का बास तह.
बस्सी जिला
जयपुर।

बनाम

- प्रतिवादी
1. प्रभु पुत्र रामपालियां मीणा
निवासी सिया का बास तह. बस्सी।
 2. गोपाल पुत्र कल्याण
 3. गोरधनी पत्नि कल्याण
 4. जोधराज पुत्र रामपालियां
 5. बरदा पुत्र बदरी
 6. दिनेश पुत्र बदरी
 7. काली पत्नि बदरी
 8. गोरु पुत्र रामपालियां
समस्त जाति मीणा समस्त निवासी सिया
का बास तह. बस्सी।
 9. सब रजिस्ट्रार तूंगा जयपुर।
 10. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।
 11. नायब तहसीलदार उप तहसीलद तूंगा
जयपुर।

दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 30.05.2018

मुकदमा नम्बर 76/17

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि बाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 443, 486, 487, 488, 489, 490, 495, 496 कुल किता 8 कुल रकबा 1.46 हैक्टे. स्थित ग्राम सिया का बास तहसील बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 489/1, 490, 495, 496 कुल किता 4 कुल रकबा 0.84 हैक्टे. भूमि खातेदार जोधराज, प्रभु पि. रामपालिया हि. 2/3 बिना रहन गोरु पुत्र रामपालिया हि. 1/3 राहिन दी जयपुर से.को. बैंक शाखा तूंगा मूर्तहीन कौम मीना सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 487 रकबा 0.28 हैक्टे. भूमि खातेदार शंकर, बरदा, दिनेश पि. बदरी मूर्तहीन काली पत्नि बदरी कौम मीना सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 487/1, 488, 489 कुल किता 3 कुल रकबा 0.28 हैक्टे. खातेदार गोपाल पुत्र कल्याण गोरधनी पत्नि स्व. कल्याण आर.एम.जी.बी. शाखा तूंगा मूर्तहीन कौम मीना सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 443, 486 कुल किता 2 रकबा 0.06 हैक्टे. शामलाती बदस्तुर जमाबंदी रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।.....निजी.....मुबलिक...
.....बाबत.....खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी
सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30.05.18 को जारी किया गया।

मोहर



दस्तख्त.....
ओहदा.....सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

Contd--2

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

3md
 सहायक कलक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 बस्सी जिला जयपुर